अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

# आदेश–पत्रक

( देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

## न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

**आपूर्ति अपील सं0– 07 / 2013**

**हरनारायण सिंह, नगर पंचायत वार्ड नं0–12,प्रखंड–मढ़ौरा,**

**बनाम**

**सरकार (मार्फत अनु0 पदा. मढ़ौरा, सारण।)**

| आदेश का क्रम–संख्या और तारीख। | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर। | आदेश पर की गई कार्रबाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित |
|---|---|---|
| 07.01.2016 | यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 47 / गो0, दिनांक 10.01.2013 के विरूद्ध दाखिल है।<br>उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 22.11. 2012 को अपराहन 12.30 बजे श्री हरनारायण सिंह, ग्रम– नगर पंचायत मढ़ौरा वार्ड नं0–12, अनुज्ञप्ति सं0–183 / 2007, प्रखंड– मढ़ौरा के जन वितरण प्रणाली की दूकान की जॉच अनुमंडल पदाधिकरी, मढ़ौरा एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मढ़ौरा के द्वारा जॉच की गई। जॉच के कम में, विकेता की दूकान से संबंधित निम्न अनियमितातए पाई गई–<br>1. निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दूकान बन्द पाया गया एवं जन वितरण विकेता दूकान से अनुपस्थित थे।<br>2. दूकान से संबंधित सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से संधारित नही था।<br>3. विकेता की अनुपस्थिति के कारण स्टॉक पंजी / वितरण पंजी इत्यादि की जॉच नही की जा सकी तथा मांगने पर भी विकेता के घर के अन्य सदस्यों द्वारा उक्त कागजात जॉच हेतु प्रस्तुत नही किया गया।<br><br>अनुमण्डल पदाधिकारी, मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने ज्ञापांक 1771 / गो0, दिनांक 27.11 / 2012 से विकेता से उक्त अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण पूछा गया। विकेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पा कर अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 47 / गो0, दिनांक 10.01.2013 से विकेता का | |

अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी गई जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विकेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। दिनांक 22.11.2012 को अपनी बहु की तबीयत अचानक कफी खराब हो जाने की वहज से उसे लेकर विकेता डाक्टर के याहॉ चले गये थे। इस कारण से दूकान बन्द थी। विकेता के द्वारा अपने जवाब के साथ चिकित्सक का पूर्जा संलग्न किया गया है। विकेता के द्वारा अक्टूबर माह के सभी सामग्री का ससमय वितरण कर दिया गया था। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विकेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश की जान बूझ कर अवहेलना की गई है, इसलिए अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को बरकरार रखा जाना उचित होगा।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 47/गो0, दिनांक 10.01.2013) में कई त्रुटियॉ हैं। जॉच की तिथि को विकेता की दूकान यदि बन्द थी, तो यह आवश्यक था कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा जॉच की एक अन्य तिथि निर्धारित कर जॉच की जाती और यदि जॉच के कम में कोई अनियमितता पाई जाती या प्राप्त कागजातों में कोई त्रुटि नजर आती तो विकेता से उन बिन्दूओं पर द्वितीय कारण पृच्छा करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाती, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नही किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को त्रुटिपूर्ण पा कर निरस्त करते हुए, यह वाद इस निर्देश के साथ अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा को रिमांड किया जाता है कि वे विकेता से पुनः चिन्हित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण पूछे, अपने स्तर से सुनवाई की जाए एवं आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर विधिसम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करें।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

15/01/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

15/01/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 145 / दिनांक 15/01/2016

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिल विधि शोखा
सारण, छपरा।
15/1/16